न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 2/2021
दायर दिनांक : 02.02.2021
निर्णय दिनांक : 20.06.2024

उनवान

1. प्रेमीबाई पत्नी चेना माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. उमाशंकर पिता बालू माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
2. गोपाल पिता बालू माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
3. रामेश्वर पिता बालू माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
4. सणगारी पत्नी बालू निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
5. सन्तोष पिता बालू माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
6. देवीलाल पिता प्यारा माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
7. माधुलाल पिता प्यारा माली निवासी मालीखेड़ा
8. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :1. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री के.सी.तुलछिया, अधिवक्ता अप्रार्थी
3. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि मौजा मालीखेड़ा प.ह.कानाखेड़ा के खाता सं. 227 के हाल आ.सं. 434 रकबा 0.35 है. आ.सं. 435 रकबा 0.47 है., आ.सं. 436 रकबा 0.77 है. किता 3 रकबा 1.59 है. भूमि प्रार्थिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। जिस पर आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की आ.सं. 430 उत्तरी मेड एवं 432 की दक्षिणी मेड पर होते हुऐ मुझ प्रार्थिया की आ.सं. 434, 435, 436 में पहुंचता है। प्रार्थिया की उक्त वर्णित आराजिया तमे जाने के लिये इसी रास्ता से 7 पीढियों से आते जाते रहे हैं इसलिऐ उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे। प्रार्थिया की आराजियात पर खाली भरी बैलगाडी, मवेशी, सज सामंद व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने व कृषि उपज के बोने व अन्य कार्य तथा फसल उपज जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, न ही प्रार्थिया के पास कोई वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थना पत्र के साथ चालू, जमाबंदी, नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है। प्रार्थिया की आराजी में जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थीगण उक्त कदीमी रास्ता को अवरूद्ध कर लोहे की जाली व छडिया दी, जिससे प्रार्थिया अपनी आराजी में नहीं जा पा रही है। अतः प्रार्थिया को उक्त आ.सं. 430 व 432 में से उक्त रास्ता दिलाया जावे, प्रार्थिया अप्रार्थी को उक्त रास्ते के लिये डी.एल.सी. दर या श्रीमान् के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार है, रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने दिनांक 14.05.24 को प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी सं. 1 व 4 का नाम हटाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.24 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सणगारी की मृत्यु दिनांक 03.05.21 को एवं अप्रार्थी उमाशंकर की मृत्यु दिनांक 06.05.21 को हो चुकी है, कानूनन अप्रार्थीगण की मृत्यु के 90 दिवस में कायम मुकाम पेश करने आवश्यक हैं जबकि प्रार्थी द्वारा 3 वर्ष के बाद भी कायम मुकाम पेश नहीं किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र अबेट स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

–:: आदेश ::–

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन कर दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा कायम मुकाम पेश नहीं कर नाम हटाने का निवेदन किया, वकील प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कायम मुकाम के अभाव में अबेट किया जाता है। निर्णय दिनांक 20.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर